दिनांक 27.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 27/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुस्तक का विमोचन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 27.05.2024 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक **श्री राजेश प्रताप सिंह** द्वारा लिखित पुस्तक ''**नक्सलवाद आकाश–कुसुम या यथार्थ?**'' का विमोचन किया गया।

सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक श्री राजेश प्रताप सिंह द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां सेवारत अधिकारियों एवं अन्य लोगों से इस विषय पर चर्चा एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपने अनुभव के आधार पर शोधपरक पुस्तक तैयार की गयी है। पुस्तक में देश के विभिन्न राज्यों में नक्सली आंदोलन के विस्तार, इसकी रणनीति के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण सही परिप्रेक्ष्य में किया गया है तथा तथ्यों के साथ–साथ नक्सलवाद के विकास, अस्तित्व और पराभव को वर्तमान संदर्भ के वैचारिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को साथ–साथ विश्लेषित किया गया है।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन/यूपी–112, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।

जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर

•चोरी की घटना का अनावरण

•03 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी के माल बिक्री के 22 हजार रूपये नगद

•चोरी के 15 आल्टीनेटर, 24 कार बैट्री, 08 कार एसी कम्प्रेसर, 18 सेल्फ आर्मेचर

•01 मोबाइल फोन

•घटना में प्रयुक्त 01 आयशर कैन्टर वाहन आदि बरामद

दिनांक 27.05.2024 को थाना हाफिजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सादिगपुर सलाई कट के पास से 03 अभियुक्तों 1—सलमान 2—शादाब 3—फरहान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 22 हजार रूपये नगद, चोरी के 15 आल्टीनेटर, 24 कार बैट्री, 08 कार एसी कम्प्रेसर, 18 सेल्फ आर्मेचर, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 आयशर कैन्टर वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना हाफिजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आल्टीनेटर, बैट्री आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी मोहल्ला कोटला मेवातियान थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

2—शादाब निवासी कोठी गेट गंज, हालपता आशियाना कॉलोनी थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।

3—फरहान निवासी मोहल्ला काली मस्जिद कोना थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के माल बिक्री के 22 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के 15 आल्टीनेटर, 24 कार बैट्री, 08 कार एसी कम्प्रेसर, 18 सेल्फ आर्मेचर।

3—01 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त 01 आयशर कैन्टर वाहन आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26/27.05.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न—भिन्न स्थानों से 04 अभियुक्तों 1—मो0 दानिश 2—आसिफ उर्फ कालिया 3—अरमान 4—जाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मो0 दानिश के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग, अभियुक्त आसिफ उर्फ कालिया के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त अरमान के विरूद्ध जनपद बुलन्शहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग व अभियुक्त जाहिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एकट, गुण्डा एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 दानिश निवासी मोहल्ला सादात जामा मस्जिद के पास बजरिया ऊपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2—आसिफ उर्फ कालिया निवासी मोहल्ला सादात जामा मस्जिद के पास बजरिया ऊपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3—अरमान निवासी टावर वाली गली मोहल्ला रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

4—जाहिद निवासी मोहल्ला गद्दीयान ऊपरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2—04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मेरठ/एएनटीएफ यूनिट मेरठ

•01 अभियुक्त गिरफ्तार

•लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 02 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा

•नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन

•01 स्विफ्ट कार बरामद

दिनांक 27.05.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इतवार पुस्ता के पास खोड़ा अण्डरपास से अभियुक्त प्रवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 02 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना खेड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवेश कुमार निवासी पैगम्बरपुर थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 02 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा।

2–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3–01 स्विफ्ट कार।

- **जनपद अलीगढ़/थाना मडराक (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना मडराक पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–मोहन को धारा 302/34/452 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त 2–अनिल 3–राकेश 4–कल्याण उर्फ करूआ को आजीवन कारावास व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/326/302 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आमिर को आजीवन कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अलीगढ़/थाना छर्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना छर्रा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त धारा 323/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनूप को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शेरसिंह उर्फ सुनील को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना खेतासराय (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के कारावास की सजा व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना खेतासराय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिलीप कुमार को 14 वर्ष के कारावास व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना टड़ियावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना टड़ियावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अयूब खां उर्फ गुड्डू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————